रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—४
लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट,
प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 5 अगस्त, 1995 ई० (श्रावण 14, 1917 शक संवत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

शिक्षा विभाग

8 मई, 1995 ई०

सं० 1677/15–7—1 (262)–1991–टी० सी०—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995

भाग—एक

सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 से है,

(ख) "उप निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी उप शिक्षा निदेशक से है,

(ग) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 33–क या 33–ख के अधीन विनियमित नियुक्ति भी है,

(घ) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक की मृत्यु, सेवा-निवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदधारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति या पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति से है।

भाग—दो

अर्हता

3—राष्ट्रिकता—अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

के भीतर जिसकी अनुमति प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे दी जाय, प्रबन्धतंत्र को अपनी उपस्थिति सूचित करे।

(2) प्रबन्धतंत्र उप नियम (1) के अधीन दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से आयोग को देगा।

(3) जब उप नियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त दे पद का कार्य-भार ग्रहण करने में असफल रहे या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो, वहां निरीक्षक प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हों, भेजेगा और उसकी सूचना उप निदेशक और आयोग को देगा, और उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

14—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) जहां कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहां प्रशिक्षित स्नातक (एल० टी०) श्रेणी या अध्यापन प्रमाण-पत्र (सी० टी०) श्रेणी, यदि कोई हो, जो पद के लिये विहित अर्हतायें रखते हों और ऐसी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को इस रूप में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, यथास्थिति प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक (एल० टी०) श्रेणी, पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा चाहे उन्होंने उसके लिये आवेदन-पत्र दिया हो या नहीं।

टिप्पणी—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ किसी अन्य मान्यता-प्राप्त संस्था में की गयी नियमित सेवा की गणना पात्रता के लिये की जायेगी जब तक कि हटाये जाने, पदच्युत किये जाने या निम्न पद पर अवनत किये जाने से उसमें व्यवधान न हुआ हो।

(2) पदोन्नति के लिये मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता होगी।

(3) प्रबन्धतंत्र उपनियम (1) में निर्दिष्ट अध्यापकों की एक सूची तैयार करेगा और उस ज्येष्ठता सूची की एक प्रति, सेवा अभिलेख, जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजियां भी हैं और परिशिष्ट "ङ" में दिये गये निर्देश में एक विवरण-पत्र के साथ, निरीक्षक के माध्यम से आयोग को अग्रसारित करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्रबन्धतंत्र से सूची प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का समाधान करेगा और सूची आयोग को अग्रसारित करेगा।

(5) आयोग उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों को विचार करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसे वह आवश्यक समझे मांग सकता है। आयोग चयन किये अभ्यर्थियों के पैनल को एक माह के भीतर निरीक्षक को अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजेगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन आयोग से पैनल की प्राप्ति पर दस दिन के भीतर निरीक्षक चयन किये गये अभ्यर्थी के नाम संस्था के प्रबन्धतंत्र को, जिसमें रिक्तियों को अधिसूचित किया है, भेजेगा और प्रबन्धतंत्र अपने संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को परिशिष्ट "छ" में दिये गये निर्देश में नियुक्ति का आदेश जारी करेगा।

15—सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया—(1) (क) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18 के अधीन अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति की जानी हो, विषयवार प्रवक्ता श्रेणी और प्रशिक्षित स्नातक (एल० टी०) श्रेणी के साथ-साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुये उप निदेशक रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो समाचार-पत्रों में जिसमें से एक का जिले में और दूसरे का राज्य में व्यापक प्रचलन हो, करेगा और तदर्थ नियुक्ति के लिये परिशिष्ट "च" में दिये गये निदर्श में आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसे विज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ पद का वेतन और अनुमन्य भत्ते, नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें और ऐसी अन्य बातें जिन्हें आवश्यक समझा जाय, होंगी। अभ्यर्थियों से उनके अधिमान क्रम में तीन से अनधिक जिलों का विकल्प दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी, जहां चुने जाने पर वह नियुक्ति के लिये इच्छुक हों। जहां किसी अभ्यर्थी की इच्छा किसी विशिष्ट जिले के लिये हो और किसी अन्य जिले के लिये नहीं, वहां वह अपने आवेदन-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख करेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उप निदेशक को समाचार-पत्र में विज्ञापन के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस प्रकार से भेजा जायेगा कि वह उप निदेशक के कार्यालय में विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन-पत्र के पहुंचने के अन्तिम दिनांक को या इसके पूर्व पहुंच जाय।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होगा—

(एक) रेखांकित पोस्टल आर्डर के रूप में सम्बन्धित उप निदेशक को देय पन्द्रह रुपये फीस:

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी फीस पांच रुपये होगी,

(दो) एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा, और

(तीन) अन्य दस्तावेज जो अपेक्षित हो।

(घ) खण्ड (ख) या (ग) के अनुसार न भेजे गये किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) उप निदेशक आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगा और परिशिष्ट "छ" में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार करायेगा। गुणवत्ता बिन्दुओं का संकलन

रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों में करेगा, जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, और विज्ञापन में प्रकाशित समय में चयन के लिये विचार किये जाने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा । इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य या हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद के लिये विज्ञापन में संस्था के नाम और स्थान का भी उल्लेख किया जायेगा और अभ्यर्थियों से अधिमानता के क्रम में तीन से अनधिक संस्थाओं के इच्छानुसार नाम देने की अपेक्षा की जायगी और यदि किसी अभ्यर्थी की यह इच्छा हो कि किसी विशिष्ट संस्था या संस्थाओं के लिये ही और किसी अन्य संस्था के लिये नहीं, उसके नाम पर विचार किया जाय तो वह अपने आवेदन-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख कर सकता है ।

(2) आयोग आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगा और यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये सूचियां तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पद के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से कम न होगी ।

(3) आयोग प्रत्येक श्रेणी के पद के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट योग्यता के क्रम में उन अभ्यर्थियों का, जो नियुक्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त पाये जांय, एक पैनल तैयार करेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी विशिष्ट संस्था में नियुक्ति के लिये दिये गये अधिमान, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुये प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद के लिये संस्थावार पैनल तैयार किया जायेगा जबकि प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पदों के लिये नियुक्ति के लिये इसे क्रमशः विषयवार और समूहवार तैयार किया जायेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो उस अभ्यर्थी का नाम, जिसके उच्चतर गुणवत्ता बिन्दु हों, पैनल में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा और यदि साक्षात्कार में प्राप्त किये अंकों के साथ-साथ दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर गुणवत्ता बिन्दु प्राप्त करें, तो उस अभ्यर्थी का नाम, जो अधिक आयु का है, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद के लिये पैनल में, नामों की संख्या पदों की संख्या की तिगुनी होगी और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के लिये यह रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी ।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिये शब्द समूहवार का तात्पर्य, नियम 11 के उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट समूहों के अनुसार से है ।

(4) प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पद के लिये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय आयोग उन संस्थाओं की सूची, जिन्होंने उसे रिक्ति अधिसूचित की हो, दिखाने के पश्चात् अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगा कि यदि वह इच्छुक हों तो अधिमानता के क्रम में अधिक से अधिक पांच ऐसी संस्थाओं को चुन ले जो उसके गृह जिले में स्थित न हो, और जहां वह चयन हो जाने पर नियुक्ति के इच्छुक हों ।

(5) उपनियम (3) के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात् आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उप नियम (4) के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में आवंटित होगा । जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आवंटित की जा चुकी हैं, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की संस्था आवंटित नहीं की जायेगी ।

(6) आयोग उप-नियम (3) के अधीन तैयार किये गये पैनल को उप नियम (5) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित निरीक्षक को अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजेगा और उसे अपने सूचना पट्ट पर भी अधिसूचित करेगा ।

13—चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना—(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर—

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर अधिसूचित करेगा;

(दो) चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतंत्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतंत्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट "ङ" में दिये गये निदर्श में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय जिसमें उससे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे दी जाय, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाय और उससे यह भी सूचित किया जाय कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायगी;

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धतंत्र से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय

(क)	किसी इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक	सीधी भर्ती द्वारा ।
(ख)	प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक	(एक) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (दो) 50 प्रतिशत प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के मौलिक रूप में नियुक्त अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा ।
(ग)	प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के अध्यापक	(एक) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (दो) अध्यापन प्रमाण-पत्र (सी0टी0) श्रेणी के मौलिक रूप में नियुक्त अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा ।

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन पदों के प्रतिशत की क्रमशः गणना करते समय यदि कोई भिन्न आ जाय तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के भिन्न को छोड़ दिया जायगा और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के भिन्न को एक पद बनाने के लिये बढ़ा दिया जायेगा ।

11—रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना—(1) प्रबन्धतंत्र अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।

(2) सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिये भर्ती के वर्ष के अन्तिम दिनांक को सेवा-निवृत्ति के कारण होने वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये प्रबन्धतंत्र द्वारा रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट "क" में दिये गये प्रपत्र में पृथकतः चार प्रतियों में भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक निरीक्षक को भेजा जायेगा और निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात, जिले में प्रवक्ता श्रेणी की रिक्तियों के बारे में विषयवार रिक्तियों का और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के बारे में समूह वार रिक्तियों का समेकित विवरण-पत्र तैयार करेगा । इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण-पत्र, प्रबन्धतंत्र से प्राप्त विवरण-पत्र की प्रतियों के साथ, निरीक्षक द्वारा आयोग को 31 जुलाई तक और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजी जायगी ;

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करना समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के सम्बन्ध में आयोग को रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के लिये कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है ;

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान रिक्तियों के साथ-साथ 30 जून, 1995 को सम्भावित रिक्तियों का विवरण-पत्र प्रबन्धतंत्र यदि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई अन्य दिनांक नियत नहीं किया गया है, निरीक्षक को 15 जून, 1995 तक भेजेगा और निरीक्षक इस उपनियम के अनुसार समेकित विवरण-पत्र आयोग को 30 जून, 1995 तक भेजेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के सम्बन्ध में शब्द समूहवार का तात्पर्य निम्नलिखित समूहों के अनुसार से है, अर्थात—

(क) भाषा समूह	इस समूह में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषय हैं ।
(ख) विज्ञान समूह	इस समूह में विज्ञान और गणित विषय हैं ।
(ग) कला और शिल्प समूह	
(घ) संगीत समूह	
(ङ) कृषि समूह	
(च) गृह विज्ञान समूह	
(छ) शारीरिक शिक्षा समूह	
(ज) सामान्य समूह	इस समूह में वे विषय हैं जो किसी पूर्ववर्ती समूह में न आये हों ।

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात, अध्यापक के किसी पद पर कोई रिक्ति होती है, तो प्रबन्धतंत्र इसके होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त उपनियम के अनुसार निरीक्षक को अधिसूचित करेगा और निरीक्षक उसे प्राप्त करने के दस दिन के भीतर आयोग को भेज देगा ।

(4) जहां, भर्ती के किसी वर्ष के लिये प्रबन्धतंत्र उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक तक रिक्तियां अधिसूचित नहीं करता या उक्त उप नियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में असफल रहता है तो निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों का अवधारण करेगा, और उक्त उपनियम में निर्दिष्ट रीति में और दिनांक तक उनको आयोग को अधिसूचित करेगा ।

इस उपनियम के अधीन आयोग को अधिसूचित की गई रिक्तियां ऐसे संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा अधिसूचित की गयी समझी जायेंगी ।

12—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) आयोग, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का होतो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

4—आयु—अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा या उप निदेशक द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष की हो गई हो ।

5—अर्हताएं—अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनायी गयी विनियमावली के अध्याय दो के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिये ।

6—चरित्र—अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । आयोग इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

7—वैवाहिक प्रास्थिति—किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या किसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

8—शारीरिक स्वस्थता—(1) किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो :

परन्तु संगीत विषय के लिये अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा ।

(2) किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

9—किसी बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक—कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी:—

(क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था में संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

(ख) संगीत विषय के लिये किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति :

परन्तु यह और कि संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये जब कोई उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना छात्राओं के हित में समीचीन है तो वह ऐसे पद के लिये किसी पुरुष अभ्यर्थी का चयन कर सकता है :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार किसी पुरुष अभ्यर्थी का चयन करने के पूर्व आयोग सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धतंत्र और उप निदेशक की राय प्राप्त कर सकता है उस पर विचार कर सकता है ।

भाग—तीन

भर्ती की प्रक्रिया

10—भर्ती का स्रोत—अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

4—आयु—अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा या उप निदेशक द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष की हो गई हो ।

5—अर्हताएं—अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनायी गयी विनियमावली के अध्याय दो के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिये ।

6—चरित्र—अध्यापक के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । आयोग इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा बर्खास्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

7—वैवाहिक प्रास्थिति—किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या किसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

8—शारीरिक स्वस्थता—(1) किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो :

परन्तु संगीत विषय के लिये अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा ।

(2) किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

9—किसी बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक—कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी:—

(क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था में संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

(ख) संगीत विषय के लिये किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति :

परन्तु यह और कि संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये जब कोई उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना छात्राओं के हित में समीचीन है तो वह ऐसे पद के लिये किसी पुरुष अभ्यर्थी का चयन कर सकता है :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार किसी पुरुष अभ्यर्थी का चयन करने के पूर्व आयोग सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धतंत्र और उप निदेशक की राय प्राप्त कर सकता है उस पर विचार कर सकता है ।

भाग—तीन

भर्ती की प्रक्रिया

10—भर्ती का स्रोत—अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—